<u>राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना</u>

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत राज्य के वृद्ध, विधवा, विकलांग, असहाय तथा बंधुआ मजदूरों को जिनकी आयु 60 वर्ष के उपर है और जिनकी सभी श्रोतों से वार्षिक आय *शहरी क्षेत्रों के लिए 5500/– रूपये* एवं *देहाती क्षेत्रों के लिए 5000/– रूपये से कम हो* उन्हें 100/– रूपये प्रति पेंशनधारी की दर की प्रतिमाह देय है । 60 वर्ष की आयु सीमा विधवा, विकलांग एवं बन्धुआ मजदूरों के संबंध में लागु नहीं है ।

केन्द्रीय योजना अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशनधारियों हेतु प्रति माह प्रति पेंशनधारी केन्द्र सरकार रू0 75/– उपलब्ध कराती है । इस राशि में बिहार सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद से 25/– रूपये प्रति पेंशनधारी प्रतिमाह देकर 100/– प्रति व्यक्ति भुगतान करने की व्यवस्था करती है ।

इसके अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रखण्ड कार्यालय में दिये जा सकते है, जिसे प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी तथ्यों के जाँचोंपरान्त अपनी अनुशंसा के साथ स्वीकृत हेतु अनुमंडल कार्यालय भेजते है और अनुमंडल पदाधिकारी उन आवेदन पत्रों के अपने संतुष्ट होने के उपरान्त स्वीकृति प्रदान करते है ।

पेंशनधारियों को पेंशन का भुगतान प्रखण्ड कार्यालय द्वारा किया जाता है ।

वृद्धावस्था या सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

प्रपत्र–1 पहली प्रति / दूसरी प्रति

1. आवेदक का नाम——————————————————————————————
2. पिता या पति का नाम——————————————— पंचायत / वार्ड न०——————
3. पता ग्राम / महल्ला————————————— डाकघर——————————
   नगर——————————————————————— थाना————————————
   प्रखण्ड—————————————————————— जिला———————————

वृद्धावस्था या सामाजिक सुरक्षा पेंशन के निमित आवेदन–पत्र

4. आयु :–(आवेदन–पत्र देने के दिन)
   आयु का अगर प्रमाण–पत्र उपलब्ध हो तो मूल अथवा अभिप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जाए अगर प्रमाण–पत्र नहीं हो तो परिवारिक सूचि या निर्वाचन सूचि में अभिलिखित उम्र भी मान्य समझा जाएगा । स्थानीय विधायक या सांसद या स्थानीय अंचलाधिकारी या प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा आयु के संबंध में दिया गया प्रमाण–पत्र भी मान्य समझा जाएगा ।
5. वार्षिक आय :–
6. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि –
   (क) मुझे छोटानागपुर, संथाल परगना क्षेत्र में ढाई एकड़ तक असिचिंत भूमि राज्य के अन्य समतल क्षेत्र में एक एकड़ तथा उससे कम असिचिंत भूमि है, तथा इससे मासिक आय पचास रूपये से कम है ।
   (ख) मैं विधवा / विकलांग / मजदूर है ।
   (ग) मैं मूलतः बिहारी वासी हूँ । विगत दस वर्षो से बिहार राज्य में रह रहा / रही हूँ ।
   (घ) मेरे पास निम्नलिखित चल, अचल सम्पत्ति है जिसका ब्योरा इस प्रकार है ।
   (1) चल सम्पत्ति (2) अचल सम्पत्ति

   (ड.) मैंने इसके पूर्व वृद्धावस्था या सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए कोई आवेदन–पत्र नहीं दिया था ।
   (च) यदि इसके पूर्व आवेदन–पत्र दिया गया हो तो क्या उस पर निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है :
   स्वीकृति या अस्वीकृति कि सूचना है / नहीं,।

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही है । यदि कोई विवरण गलत प्रमाणित हो तो वृद्धावस्था या सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में भुगतान की गयी राशि राजस्व बकाये की तरह मुझसे वसूल की जाय ।

टिप्पणी : जो लागू न हो काट दें । आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

आवदेक के पहचानकर्त्ता का हस्ताक्षर

7. आवेदन की तिथि :–

टिप्पणी : आवेदन–पत्र भरने के बाद इसे सम्बन्धित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पास जमा दें ।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का जाँच–प्रतिवेदन

1– मैंने आपके द्वारा दिये गये विवरण की जाँच की है और सही पाया है । मै आवेदक को पेंशन स्वीकृत करने की अनुशंसा करता हूँ ।

2– मैं निम्नलिखित कारणों से आवेदक को पेंशन स्वीकृ ति की अनुशंसा करता हूँ ।

तिथि –––––––––––   प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अनुमण्डल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पेंशन स्वीकृत / अस्वीकृत   अनुमण्डल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

––

प्राप्ति रसीद

आवेदक का नाम श्री / श्रीमति ––
पता––का वृद्धावस्था या सामाजिक सुरक्षा पेंशन के निमित्त आवेदन–पत्र प्राप्त है ।

प्रखण्ड का मुहर

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर तथा
प्राप्ति की तिथि